संख्या-1/2019/93/चालीस-2019-20(01)/2018

प्रेषक,

डा0 ललित वर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
सहारनुपर/लखनऊ/विन्ध्याचल मण्डल(मीरजापुर)।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 05 मार्च, 2019

विषयः अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल के पत्र संख्या-4235/जे0ए0/2018-19, दिनांक 10-1-2019, अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल के पत्र संख्या-1365/15-15(2008-09), दिनांक 20-02-2019 एवं अपर आयुक्त(प्र0), विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर के पत्र संख्या-3990/प्र0सहा0-एकी0-अन्तर्धार्मिक वि0द0प्रो0पु0/2018, दिनांक 24-12-2018 (आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल को न्याय विभाग का अभिमत/उद्धरण व नियमावली की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उसमें दी गई व्यवस्थानुसार कार्यवाही करें) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-20(27)2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) किये जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से आयुक्त, सहारनपुर मण्डल को 1,22,500/- (रू0 एक लाख बाईस हजार पॉच सौ मात्र), आयुक्त, लखनऊ मण्डल को रू0 72,500/- (रू0 बहत्तर हजार पॉच सौ मात्र), तथा आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को रू0 22,500/- (रू0 बाईस हजार पॉच सौ मात्र) अर्थात कुल रू0 2,17,500/- (रू0 दो लाख सत्रह हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है। धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित दम्पत्ति उक्त नियमावली के अन्तर्गत पात्रता के श्रेणी में आते हैं।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखा मिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 ललित वर्मा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/93(1)/चालीस-2019-बजट(6)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, सहारनपुर, लखनऊ, मीरजापुर।
(3) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर, लखनऊ, मीरजापुर।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।